



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 2014/फाल्गुन 16, 1935

No. 114]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 2014/PHALGUNA 16, 1935

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सा.का.नि. 162(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार नीचे दी गई तालिका की क्रम संख्या 1-2 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को एतद्वारा कांडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में 1-4-2014 से 31-3-2016 तक दो वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करती है :—

तालिका

1.	श्री योगेश मेहता मैसर्स कार्गो मुवर्स कार्गो हाउस, बी.बी.जेड.—एस—32 ए गांधीधाम, कच्छ गुजरात—370201	कांडला स्टेवेडोर्स एसोसिएशन लि। एम पीटी अधिनियम, 1963 के 3(1)(ग)(ii)(4) के अन्तर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि।
2.	श्री अतुल उबाले व. उपाध्यक्ष भारतीय नौवहन निगम (आईएनएसए)	इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन। एम पीटी अधिनियम, 1963 के 3(1)(ग)(ii)(4) के अन्तर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि।

[फा. सं. एलबी—11013/8/2013—एल]

एन. मुरुगानन्दम, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING
(Ports Wing)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th March, 2014

G.S.R. 162(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial number 1- 2 in the table below, to be trustees on the Board of Trustees of the Kandla Port Trust for a period of 2 years from 1-4-2014 to 31-3-2016 :—

TABLE

1.	Shri Yogesh Mehta M/s. Cargo Movers Cargo House, B.B.Z.-S-32A, Gandhidham, Kachchh Gujarat - 370201	Kandla Stevedores Association Ltd. Agents' Association. Representing other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963.
2.	Shri Atul Ubale Sr. Vice President Shipping Corporation of India (INSA)	Indian National Shipowners' Association. Representing other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963.

(F.No. LB-11013/8/2013-L)
N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सा.का.नि. 163(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार नीचे दी गई तालिका की क्रम संख्या 1 के सामने उल्लिखित व्यक्ति को एतद्वारा पारादीप पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में 1-4-2014 से 31-3-2016 तक दो वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करती है :—

तालिका

1.	श्री बी. के. बाल अध्यक्ष लाजिस्टिक एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी	उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री। एमपीटी अधिनियम, 1963 के 3(1)(ग)(ii)(4) के अन्तर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि
----	---	---

[फा. सं. एलबी—11013 / 1 / 2013—एल]

एन. मुरुगानन्दम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

G.S.R. 163(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the person mentioned against serial number 1 in the table below, to be trustee on the Board of Trustees of the Paradip Port Trust for a period of 2 years from 1-4-2014 to 31-3-2016 :—

TABLE

1.	Shri B.K. Bal, Chairman Logistic & Infrastructure Committee	The Utkal Chamber of Commerce and Industry. Representing other Interest as envisaged under section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963.
----	---	---

[F.No. LB-11013/1/2013-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.